

पत्रांक ३४३३/आयु०क०उत्तरा०/विधि-अनुभाग/१२-१३/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड  
(विधि-अनुभाग)

दिनांक: देहरादून: नवम्बर २०१२,  
०९/११/१२

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क०नि०) वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड  
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, (क०नि०) वाणिज्य कर  
व वाणिज्य कर अधिकारी (क०नि०) उत्तराखण्ड।

:-परिपत्र:-

विभिन्न Stake-holders द्वारा मुख्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि केन्द्रीय विक्रय कर नियमावली (Registration & Turnover) 1957, के नियम 12 (6) के अनुसार एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा प्रान्त/राज्य के बाहर माल के प्रेषण के फलस्वरूप एक कैलेण्डर माह के अर्न्तजातीय सम्बन्धों के लिए प्रान्त के बाहर स्थित शाखाओं से त्रैमासिक प्रपत्र "सी/एच" ही जारी किया जा सकता है। उक्त व्यवस्था के कारण इस माल के प्रेषण के सन्दर्भ में माह के अन्त में प्रेषित माल दूसरे राज्य में अगले माह की तारीख में प्राप्त होता है, तो प्रान्त के बाहर की शाखाओं एवं निर्देष्टाओं के द्वारा उक्त सम्बन्धों के सन्दर्भ में जो प्रपत्र 'सी/एच' जारी किये जाते हैं, उत्तराखण्ड राज्य के करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि प्रपत्र 'सी' के सम्बन्ध में केन्द्रीय विक्रय कर नियमावली (Registration & Turnover) Turnover) 1957 के नियम 12(1) के द्वितीय तथा तृतीय परन्तुक में दी गई व्यवस्था निम्न प्रकार है।

"provided further that a single declaration may cover all transactions of sale, which take place in a quarter of a financial year between the same two dealers."

"provided also that where, in the case of any transaction of sale, the delivery of goods is spread over to different quarters in a financial year or of different financial years, it shall be necessary to furnish a seprate declaration or certificate in respect of goods delivered in each quarter of financial year."

इसी प्रकार प्रपत्र 'एच' के सम्बन्ध में केन्द्रीय विक्रय कर नियमावली 1957 के नियम 12(10) में दी गई व्यवस्था निम्न प्रकार है—

**12(10)–** (a) The declaration referred to in sub-section (4) of section 5 shall be in Form H and shall be furnished to the prescribed authority up to the time of assessment by the first assessing authority.

(b) The provisions of the rules framed by the respective State Government under sub-section (3), (4) and (5) of section 13 relating to the authority from whom and the conditions subject to which any form of certificate in Form H may be obtained, the manner in which such for shall be kept in custody and records relating there to maintained and the manner in which such form may be used and such certificate may be furnished in so far as they apply to declaration in Form "C" prescribed under these rules shall mutatis mutandis apply to certificate in form "H."

